राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2407/2025

सेवा लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.04.2025
आदेश की दिनांक : 09.04.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री जितेश कुमावत, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के रूप में दिनांक 01.12.1984 से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा में चतुर्थ श्रेणी के पद पर हुई थी (अनुलग्नक–1) एवं दिनांक 15.12.1984 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.03.1992 द्वारा वेतन श्रृंखला 750–940 रुपये 750/– में नियमित किया गया था (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2017 को सेवानिवृत्त हो गया (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी की दिनांक 15.12.1984 से निरंतर सेवा के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग उसकी प्रारंभिक सेवा अवधि पर विचार करने में विफल रहे हैं और केवल उसकी स्थायीकरण तिथि अर्थात 30.03.1992 से ही लाभ प्रदान किए हैं। अपीलार्थी अपनी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि 15.12.1984 से सेवा लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जिसमें पेंशन और अन्य परिणामी लाभों के लिए सेवा अवधि की गणना भी शामिल है। आयुक्तालय, उद्यानिकी जयपुर द्वारा दिनांक 09.07.2021 के आदेश द्वारा श्री बाबूलाल को ऐसे लाभ प्रदान किए गए हैं, जिसमें उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति से सभी परिणामी लाभों के साथ एक नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया था (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी की शिकायत के निवारण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो अपीलार्थी ने अपने वकील के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 12.03.2025 (अनुलग्नक–5) द्वारा कानूनी नोटिस भी भेजा, जिसमें अपीलार्थी को उचित लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया। जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि पेंशन लाभ सहित सभी सेवा लाभों के लिए अपीलार्थी की दिनांक 15.12.19984 से सेवा अवधि पर विचार करे।

हमने अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)